इंफारमेशन पैक

विकास संवाद

ई–7 / 226 प्रथम तल, धनवन्तरी काम्पलेक्स के सामने, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल
मध्य प्रदेश
फोन 0755–4252789
ईमेल vikassamvad@gmail.com

न्यूनतम समर्थन मूल्य के आगे-पीछे

प्रस्तुति
शिवनारायण गौर
मो. 094524 33229
ईमेल shivnarayangour@gmail.com

न्यूनतम समर्थन मूल्य के आगे–पीछे

खेती घाटे का सौदा हो गई है और अब बहुतायत किसान खेती करना छोड़ना चाहते हैं। यह बात कोई दोएक साल पहले राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे संगठन के आंकड़े कह रहे थे। इस सरकारी संस्था के आंकड़े बताते हैं कि खेती की हालत से परेशान 40 फीसदी किसान कृषि से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि 27 फीसदी किसान मानते हैं कि खेती फायदे का करोबार नहीं रहा। इसके अलावा 8 फीसदी किसान कहते हैं कि खेती जोखिम का काम है। कुल मिलाकर 75 प्रतिशत किसान अब खेती नहीं करना चाहते हैं। इस खेती छोड़ने की प्रकि्रया और उसके कारणों का हम विश्लेषण करें तो कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं। जैसेः–

- खेती की लागत लगातार बढ़ रही है।
- जोत का आकार छोटा हो रहा है।
- खेती की आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जैसे बिजली, पानी, खाद, बीज, कीटनाशक आदि।
- उत्पादन दिन प्रतिदिन कम हो रहा है
- रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है।
- खेती पूरी तरह से बाजार आधारित हो गई है।
- फसल चक्र में बदलाव आया है।

ऊपर उल्लेखित इस सूची का विस्तार किया जा सकता है लेकिन हम पहले केवल कुछ बिन्दुओं के आसपास रहकर इसे पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। खेती यदि इस देश के करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है तो उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। कम से कम अपनी उपज का वाजिब दाम तो किसान को मिलना ही चाहिए। शायद इस व्यवस्था के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे कायदे कानूनों की जरूरत भी महसूस हुई होगी।

> खेती यदि इस देश के करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है तो उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। कम से कम अपनी उपज का वाजिब दाम तो किसान को मिलना ही चाहिए। शायद इस व्यवस्था के लिए समर्थन मूल्य जैसे कायदे कानूनों की जरूरत भी महसूस हुई होगी।

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का पूरा ढांचा ही विवादास्पद है। आमतौर से पंजाब, हरियाणा के किसानों के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित होते हैं। भारत सरकार महंगी कीमत पर गेहूं का आयात तो कर सकती है परंतु देश के अंदर किसानों को उचित मूल्य देने में आनाकानी करती है।

समर्थन मूल्य ने फसलों के न्यूनतम मूल्य की सीमा तो बांधी है किन्तु कई बार किसानों को उस न्यूनतम सीमा से भी कम दामों पर अपनी उपज को बेचना पडता है। यानी इसमें दो तरह के पेंच हैं एक तो यह कि समर्थन मूल्य कम होता है, जो कि किसान कह भी रहे हैं और दूसरा यह भी कि जो समर्थन मूल्य तय होता है उस पर भी ठीक से खरीदी नहीं होती।

भारत सरकार ने विभिन्न खाद्यान्न व अन्य फसलों और उनके उत्पादन को नियंत्रित करने, सहायता देने और कीमतों में स्थिरता लाने के मद्देनजर कृषि मूल्य और लागत आयोग, भारतीय खाद्य निगम, खाद्यान्न वितरण विभाग की स्थापना की थी। करीब 4 लाख उचित मूल्य की दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्थापित की गई। गौरतलब है कि वितरण और संग्रह की प्रणाली काफी दोषपूर्ण रही है क्योंकि गेहूं का बड़ा हिस्सा पंजाब और हरियाणा से क्रय किया जाता है। परन्तु इसका वितरण पूरे देश में होता है। संग्रह का खर्च और वितरण के व्यवस्थागत खर्च में भौगोलिक विरोधाभास होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली कारगर साबित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र और व्यापारियों को लूट की काफी छूट मिली।

गेहूं के व्यापार का नियंत्रण अधिकतम 30 प्रतिशत सरकार के द्वारा होता रहा है परन्तु 70 प्रतिशत गेहूं का व्यापार निजी कंपनियों और व्यापारियों द्वारा होता है।

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का पूरा ढांचा ही विवादास्पद है। आमतौर से पंजाब, हरियाणा के किसानों के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित होते हैं। भारत सरकार महंगी कीमत पर गेहूं का आयात तो कर सकती है परंतु देश के अंदर किसानों को उचित मूल्य देने में आनाकानी करती है। दो साल पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें स्थानीय बाजार से काफी अधिक रहीं। अत्यावश्यक वस्तु कानून में ढिलाई देने के कारण भी गेहूं की जमाखोरी हुई। इस समय निजी गोदामों में भारी मात्रा में गेहूं था परंतु बाजार में इसकी उपलब्धता महंगे दामों पर थी। एक प्रकार से नकली संकट भी पैदा किया गया था। गेहूं का आयात कहां से किया जाए—आस्ट्रेलिया से या अमेरिका से। इसको लेकर भी राजनैतिक दांवपेंच चलता रहता है। अमेरिकन कंपनियों का अप्रत्यक्ष दबाव होता है कि गेहूं केवल उन्हीं से खरीदा जाए। और उस वर्ष अति ही हो गई। जिस आस्ट्रेलियन कंपनी से भारत गेहूं आयात किया वही कंपनी भारत से गेहूं का की खरीदी कर रही थी।

इस बात को शायद बार–बार दुहराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आप तो इस बात से भी वाकिफ हैं कि देश की कुल आबादी करीब 110 करोड़ हो चुकी है, जिसका करीब 75 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है। इनमें से करीब 65 करोड़ लोग सीधे खेती–किसानी से जुड़े हुए है और अन्य 15 करोड़ लोगों की जीविका भी खेती से जुड़े हुए धंधों से चलती है। इस प्रकार जीविका के साधन के रुप में भारतीय कृषि की भूमिका सर्वोपरि व काफी महत्वपूर्ण हैं।

> देश की कुल आबादी करीब 110 करोड़ हो चुकी है, जिसका करीब 75 प्रतिशत हिस्सा गांवों में निवास करता है। इनमें से करीब 65 करोड़ लोग सीधे खेती–किसानी से जुड़े हुए है और अन्य 15 करोड़ लोगों की जीविका खेती से जुड़े हुए धंधों से चलती है। इस प्रकार जीविका के साधन के रुप में भारतीय कृषि की भूमिका सर्वोपरि व काफी महत्वपूर्ण हैं। आज भी रोजगार सृजन एवं सकल घरेलू उत्पादन में इस क्षेत्र का अच्छा खासा योगदान है। लेकिन अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का एक लंबे समय से शोषण व दोहन होता रहा है।

कृषि केवल गांव का ही नहीं, बल्कि शहरों का भी विषय है। लेकिन जैसे ही खेती का जिक्र आता है हमें गांव का दृश्य दिखाई देने लगता है। असल में किसानों की तरह ही शहरी उपभोक्ताओं को भी कृषि विकास कार्यक्रमों में भागीदार होना आवश्यक है। लंदन स्थित स्कूल ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज के तीन शोधकर्ताओं ने विकसित और विकासशील देशों का, खासकर भारत और चीन का, सघन अध्ययन किया था उनका निष्कर्ष है कि भारत में किसान ही सच्चे अनुसंधानकर्ता हैं। लेकिन इस बात को कितने लोग स्वीकार कर पा रहे हैं यह एक अहम मुद्दा है। और यही नहीं सरकार मानती है कि किसान अकुशल मजदूर है। यानी वह व्यक्ति जो नियमित अनुसंधान का कार्य कर रहा है अकुशल मजदूर की श्रेणी में आता है।

आज भी रोजगार सृजन एवं सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का अच्छा खासा योगदान है। लेकिन अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का एक लंबे समय से शोषण व दोहन होता रहा है।

सकल घरेलू उत्पाद के तीन घटकों – उद्योग, कृषि और सेवा – क्षेत्रों में जहां उद्योग और खासकर सेवा – क्षेत्र की प्रगति पर देश नाज कर सकता है, वहीं कृषि–क्षेत्र की उत्पादकता में ठहराव चिंताजनक है। भारत के आजाद होने के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा उनहत्तर प्रतिशत था जो घटते घटते बीस प्रतिशत के आसपास रह गया है, लेकिन सेवा क्षेत्र ने पिछले चार पांच वर्षों में बावन प्रतिशत से अधिक योगदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत सभ्यता से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो भी आज कृषि गर्दिश में है, क्योंकि कृषि उत्पादन का चार प्रतिशत के लक्षित स्तर तक पहुंचना एक टेढ़ी खीर बना हुआ है।

आज स्थिति यह है कि ग्रामीण परिवारों में लगभग साढ़े ग्यारह प्रतिशत के पास कोई कृषि भूमि नहीं है और साठ प्रतिशत से भी अधिक परिवारों के पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान देहात में प्रति परिवार औसतन लगभग सत्ताईस प्रतिशत कृषि भूमि घट गई है। वैसे भी खेती नींद हराम कर देने वाला धंधा है। न दिन में जैन, न रात को आराम।

सभी उपायों और प्रोत्साहनों के बावजूद कृषि उत्पादन दो प्रतिशत के कुछ ऊपर या तीन प्रतिशत पहुंचते पहुंचते थक कर ढीली सांसें लेने लगता है। इस स्थिति से उबरने के लिए हरित क्रांति के जनक माने गए एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने वर्तमान राष्ट्रीय कृषि नीति में संशोधन कर उसे प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया है। कृषक सेवा और कृषि सुरक्षा शीर्षक से करीब दो साल पहले आई आयोग की रिपोर्ट का जोर इस बात पर है कि ग्रामीण भारत के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएं, उसमें किसान की खुशी और खुशहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देना हमारा पहला प्रयत्न होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनाज में देश की आत्मनिर्भरता के लिए कृषक और कृषि के प्रति दृष्टिकोण और मनःस्थिति में व्यापक बदलाव लाना होगा। किसान सुखी होगा तो कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा, किसान दुखी होगा तो कृषि चौपट हो जाएगी।

किसान आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके दस प्रमुख उद्देश्यों का अध्ययन करें या फिर उसके विभिन्न प्रस्तावों और सिफारिशों पर नजर डालें तो सभी में इस बात पर जोर दिया गया है कि खेतों में उपज बढ़ना या फसलों का लहलहाना ही काफी नहीं, किसानों के चेहरों पर अमिट मुस्कान लाना उससे भी अधिक आवश्यक है। खेती शरीर है तो किसान उसका प्राण। दस्तावेज में दी गई सिफारिशें, प्रस्ताव और समाधान देश की आधी से अधिक जनसंख्या वाले किसानों की पीड़ा, दयनीय स्थिति, उमंगों–अरमानों और हितों को केन्द्र में रखकर तैयार किए गए हैं।

इस रपट में बताया गया है कि अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन और सुविधाओं के विस्तार के बावजूद किसानों की आय इतनी नहीं कि वे पारिवारिक, सामाजिक और पारंपरिक दायित्वों और अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करते हुए कुछ बचा जुटा लें और सुख चैन की जिन्दगी बसर कर सकें। कारण अनेक हैं लेकिन मुख्य कारण है कृषि उत्पादन की तुलना में जनसंख्या और परिवार के सदस्यों का अधिक तेजी और अनुपात में बढ़ना। दूसरी तरफ कृषि भूमि का पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक सन्तानों में बंटते जाना, फलस्वरूप आय के घटते–घटते जोतों का अलाभकारी होते जाना और इस तंगहाली से निकलने के लिए साहूकारों के शिकंजे में फंसते जाना।

स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही अर्थतंत्र में कृषि और कृषकों की महत्ता स्वीकारते हुए कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों के साथ–साथ बीजों, उर्वरकों, हलों, कटाई मशीनों और बिजली आदि

की वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। सिंचाई की छोटी–बड़ी योजनाएं भी हाथ में ली गईं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और सहयोग से गेहूं, चावल, मकई, ज्वार और बाजरा की ऐसी संकर किस्में विकसित कीं जो अधिक उपज और अधिक आय देने वाली थीं। नतीजतन, 1968 में उत्पादकता ओर उत्पादन का अनुपात जनसंख्या वृद्धि के अनुपात से अधिक होने लगा। यहीं से हरित क्रांति के युग का सूत्रपात हुआ और कृषि क्षेत्र ने उन्नति की राह पर तेज डग भरते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन आज उत्पादकता दो प्रतिशत के आसपास ही चक्कर काट रही है। यानी तथाकथित विकास की यह गति ठहर गई। मसलन, उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से लाई गई हरित क्रांति से भी किसान की जिन्दगी में व्यापक बदलाव नहीं आ पाया। बल्कि बढ़ती उत्पादन लागत ने और मुश्किलें ही पैदा की हैं।

> एमएस स्वामीनाथन सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस ढंग से निर्धारित करने के पक्ष में हैं कि यह मूल उत्पादन की औसत लागत से पचास प्रतिशत अधिक हो। वे चाहते हैं कि खुश्क, बंजर और कम पेड़ पौधों वाले इलाकों में ही विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाएं और वहीं वृहद औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की जाएं।

वर्ष 2000–01 में प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद मध्य प्रदेश में रु. 10803 था, जबकि पंजाब में यह रु. 25048 और हरियाणा में रु. 23742 था। वर्ष 1999–2000 में आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश में ग़रीबी का अनुपात 37.1 प्रतिशत था जबकि उसी वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 27 प्रतिशत था। राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन (2001) के अनुमान के अनुसार ग्रामीण मध्य प्रदेश में 2.2 करोड़ लोग अधिकारिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। आदिवासी लोग, जो प्रदेश की आबादी का क़रीब 22 फ़ीसदी हिस्सा हैं, और भी गयी–गुजरी स्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं।

आज स्थिति यह है कि ग्रामीण परिवारों में लगभग साढ़े ग्यारह प्रतिशत के पास कोई कृषि भूमि नहीं है और साठ प्रतिशत से भी अधिक परिवारों के पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान देहात में प्रति परिवार औसतन लगभग सत्ताईस प्रतिशत कृषि भूमि घट गई है। वैसे भी खेती नींद हराम कर देने वाला धंधा है। न दिन में चैन, न रात को आराम। कहा जाता है कि कृषि मानसून का जुआ है। वर्ष में कभी एक दो दिन भी मूसलाधार वर्षा हो जाए, ओले पड़ जाएं, तेज तूफान आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए तो साल भर तो क्या बरसों की मेहनत खाक हो जाती है। तब मोटा अनाज तक मिलने के लाले पड़ जाते हैं। यों भी प्रति व्यक्ति जोत कम हो जाने से बेराजगारी बढ़ती जा रही है।

> एमएस स्वामीनाथन सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस ढंग से निर्धारित करने के पक्ष में हैं कि यह मूल उत्पादन की औसत लागत से पचास प्रतिशत अधिक हो। वे चाहते हैं कि खुश्क, बंजर और कम पेड़ पौधों वाले इलाकों में ही विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाएं और वहीं वृहद औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की जाएं।

गौरतलब है कि दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए की बात करते हुए राष्ट्रीय किसान आयोग की रपट में दिए गए दस बड़े उद्देश्यों में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार को सर्वोच्चता दी गई है। कहा गया है कि किसानों की न्यूनतम विशुद्ध आय बढ़ाई जाए, आजीविका सुरक्षित की जाए, भूमि सुधारों का अधूरा एजेंडा पूरा किया जाए, किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, उनकी आजीविका के लिए सहायक सेवाएं शुरू की जाएं, प्रमुख कृषि उत्पादकता और लाभकारिता में वृद्धि के लिए भूमि, जल जैव–विविधता और जलवायु संसाधनों की रक्षा की जाए और उन्हें सुधारा जाए।

एमएस स्वामीनाथन सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस ढंग से निर्धारित करने के पक्ष में हैं कि यह मूल उत्पादन की औसत लागत से पचास प्रतिशत अधिक हो। वे चाहते हैं कि खुश्क, बंजर और कम पेड़ पौधों वाले इलाकों में ही विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाएं और वहीं वृहद औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की जाएं। कृषि प्रधान भूमि कृषि कार्यो के लिए ही सुरक्षित रखी जाए। राष्ट्रीय किसान आयोग कृषि को समवर्ती सूची में भी शामिल करने के पक्ष में है ताकि केन्द्र की कृषि से जुड़ी व्यापार, वित्त और निवेश की वृहद नीतियों और राज्यों की कृषि विकास नीतियों के बीच अधिक तालमेल हो सके। इससे अधिक निवेश के लिए तरसती खेती का चिरकाल सपना भी साकार हो सकेगा ऐसा किसान आयोग मानता है। किसानों के समग्र विकास की बात की दुहाई देते हुए दिनांक 13 सितम्बर, 2006 को मध्यप्रदेश राज्य कृषि आयोग का गठन किया गया। राज्य आयोग की एक रपट के अनुसार उसकी कुछ अनुशंसाएं निम्न हैं:–

- कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषि उपज के मूल्य लाभकारी हों यह मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए।
- कृषि उत्पादन में उपयोग होने वाले आदानों (खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं, बिजली, पानी आदि) की व्यवस्था समय से किए जाने हेतु एक स्पष्ट नीति बनाई जाए जिससे किसानों को समय पर आदान मिलें। जिससे वे समय पर खेती कर सकें।

तो यदि हम फिर से पहले पेज पर लिखी समस्याओं के बारे में सोचें तो लगता है कि उपज का प्र्याप्त कीमत नहीं मिलना एक बड़ी समस्या है। सरकार ने असल में किसानों को उपज का ठीक–ठाक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने और बाजार में कीमत पर नियंत्रण के लिहाज से समर्थन मूल्य तय करने की प्रक्रिया करीब 45 साल पहले शुरू की है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या?

> केन्द्र सरकार द्वारा गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रबी एवं खरीफ की करीब 25 फसलों के न्यूनतम मूल्यों को एक प्रक्रिया से तय करके कृषि मंत्रालय को सौंपता है। कृषि मंत्रालय आयोग की सलाह के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। साल में दो बार यह अलग अलग सीजन के लिए घोषित किए जाते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जो कि दीर्घ अवधि में अत्यधिक उत्पादन की दशा में कीमतों के उतार चढाव को रोकने एवं उत्पादक की निवेश प्रक्रिया को बरकरार रखने के लिए निश्चित की जाती हैं। किसानो के हित एवं स्वनिर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सुझावों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है।

केन्द्र सरकार द्वारा गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रबी एवं खरीफ की करीब 25 फसलों के न्यूनतम मूल्यों को एक प्रक्रिया से तय करके कृषि मंत्रालय को सौंपता है। कृषि मंत्रालय आयोग की सलाह के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। साल में दो बार यह अलग अलग सीजन के लिए घोषित किए जाते हैं। यह वह कीमत है जिस पर सरकार घोषणा करती है कि वह अपने खरीदी केन्द्रों के माध्यम से उत्पादक का कुल कृषि उत्पादन खरीद लेगी। इस नीति का उददेश्य यह हैं कि उत्पादन में किसी भी क्षणिक उतार चढाव की वजह से कीमतों में आने वाले एकाएक परिवर्तन के बावजूद किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सके। इस कीमत का एक लक्ष्य उत्पादक को बढ़ती आपूर्ति की दशा में जब कीमतें गिर रही हो तो होने वाले नुकसान से बचाना है।

हालांकि इस कीमत का औचित्य तब है जब बुवाई के पहले इसकी घोषणा हो जाये साथ ही प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय किया जाये जिससे वे ज्यादा से ज्यादा फसल खरीदें और न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से बाजार कीमत नीचे न गिरने दे। ये कीमतें बाजार के लिए कीमत के निर्धारण के लिए जमीन तैयार करती हैं, जो मांग और पूर्ति की दशाओं द्वारा निर्धारित होती हैं।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

कृषि लागत और मूल्य आयोग की जिम्मेदारी कीमत नीति पर अपने सुझाव देना है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करना है और वह भी बिना किसी डर के। न्यूनतम मूल्य कृषि लागत से सम्बन्धित होता है जो कि बाकायदा परिभाषित और मापनीय है। आयोग का यह प्रयास रहा है कि समर्थन मूल्य नीति में बीमा और प्रोत्साहन दोनों अवधारणाओं का समावेश हो।

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाः

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया कृषि लागत और मूल्य आयोग के सुझाव के आधार पर मुख्य कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कीमतों के निर्धारण के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं उनमें कई महत्वपूर्ण कारक शामिल किए जाते हैं:–

- उत्पादन की लागत
- जोखिम
- अदा कीमतों में परिवर्तन
- बाजार कीमत
- मांग और आपूर्ति
- औद्योगिक लागत संरचना का प्रभाव
- रहन–सहन की लागत का प्रभाव
- सामान्य कीमत का स्तर का प्रभाव
- अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत की स्थिति
- अन्तः फसल कीमत समानता
- अदा–प्रदा कीमत समानता
- सामग्री और उत्पाद कीमतों के मध्य समानता
- प्रकृति अवधारणा

इन समस्त कारकों का समर्थन मूल्य के निर्धारण में योगदान होता है। जिसमें उत्पादन लागत ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य कृषि के मौसम में कम से कम उत्पादन लागत की पूर्ति अवश्य करती है। सरकारी दस्तावेज उपरोक्त बातें कहते हैं।

1970–71 में गेहूं का समर्थन मूल्य 80 पैसे प्रति किलोग्राम था जबकि डीजल का मूल्य था 76 पैसे प्रति लीटर यानी एक किलो गेहूं बेचकर किसान को एक लीटर डीजल खरीदने के बाद भी चार पैसे बच जाते थे। आज गेहूं का समर्थन मूल्य 11.00 रुपए प्रति किलो है जबकि डीजल का मूल्य 36.00 रुपए प्रति लीटर है। जाहिर है किसान को एक लीटर डीजल खरीदने के लिए लगभग चार किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन जनवरी 1965 में किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा एक सचिव तथा तीन बाहरी सदस्य होते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न राज्यों के विभिन्न उत्पादों का राज्यों के साथ मशविरा कर उत्पादन लागत की व्याख्या करती है। राज्य के मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। हम जानते हैं कि एक ही फसल की उत्पादन लागत विभिन्न क्षेत्रों में, यहां तक की विभिन्न किसानों के मध्य अलग अलग होती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के इस सूक्ष्म तात्पर्य को स्वीकार नहीं करता कि यह गिरती हुई कीमतों के बदले एक सुरक्षा की गारंटी है। इसका मानना है कि यह एक प्रोत्साहन कीमत है जो कि उत्पादक को नयी नयी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कीमत किसानों द्वारा उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर अपने उत्पादन को बढाने के लिए समर्थन देती जिससे वे बाजार की कीमत को पछाड़ सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उत्तरप्रदेश के 14 जिलों के 31 गांवों में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में प्रमुख रूप से दो बातों का विश्लेषण किया गया। एक तो यह कि लघु एवं सीमान्त किसान समर्थन मूल्य से लाभान्वित क्यों नहीं हुए। वैसे तो समर्थन मूल्य सभी किसानों के लिए होता है लेकिन चूंकि वे मण्डी या अन्य शासकोय खरीदी केन्द्र तक अपनी उपज को बेचने नहीं जाते हैं वे स्थानीय साहूकारों को अपना अनाज कम दामों पर बेच देते हैं।

इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के दो पहलू हैं।

1. नकारात्मक समर्थन मूल्य जो कि अधिक उत्पादन की दशा में दबी बिक्री को रोकने से ज्यादा कुछ नहीं हैं।

2. सकारात्मक समर्थन मूल्य जो कि अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देता है।

समर्थन मूल्य के बड़े प्रभाव

कई बार समर्थन मूल्य के कारण खेती की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो जाती है इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। कुछ साल पहले गेहूं का उत्पादन कम होने लगा। इस गेहूँ के गिरते उत्पादन का एक प्रमुख कारण था सरकार द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य पर्याप्त न बढ़ाया जाना। देश के किसान बार–बार मांग कर रहे थे कि खेती की लागतें बहुत बढ़ गई हैं, और गेहूँ का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने मानो समर्थन मूल्य को स्थिर रखने की कसम खा रखी थी।

वर्ष 2000–01 में गेहूँ का समर्थन मूल्य उससे पिछले वर्ष के 580 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले 30 रुपए बढ़ाकर 610 रुपए किया गया, यानि पांच प्रतिशत की वृद्धि की गयी। लेकिन उसके बाद तो छः वर्षों तक समर्थन मूल्य में किसी वर्ष मात्र 10 रुपए की वृद्धि की गई और किसी वर्ष तो वह भी नहीं की गई। 2000–01 से 2005–06 के पांच वर्षों में समर्थन मूल्य में कुल 6.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई यानी सालाना 1.1 प्रतिशत की वृद्धि। जबकि इन वर्षों में मंहगाई की सालाना दर 4.7 प्रतिशत रही। सरकार किसानों के प्रति इतनी निष्ठुर हो गई थी कि अर्थव्यवस्था की मूल्य वृद्धि की सामान्य दर से भी गेहूँ का समर्थन मूल्य बढ़ाने को तैयार नहीं थी। किसान तो ज्यादा वृद्धि की मांग कर रहे थे, क्योंकि खाद, बीज, पानी, बिजली, डीजल आदि की लागतें काफी तेजी से बढ़ रही थी।

एक उदाहरण से महंगाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम समर्थन मूल्य से तुलना करके देख सकते हैं। 1970–71 में गेहूं का समर्थन मूल्य 80 पैसे प्रति किलोग्राम था जबकि डीजल का मूल्य

था 76 पैसे प्रति लीटर यानी एक किलो गेहूं बेचकर किसान को एक लीटर डीजल खरीदने के बाद भी चार पैसे बच जाते थे। आज गेहूं का समर्थन मूल्य 11.00 रुपए प्रति किलो है जबकि डीजल का मूल्य करीब 36.00 रुपए प्रति लीटर है। जाहिर है किसान को एक लीटर डीजल खरीदने के लिए लगभग चार किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है।

खेती की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। जमीन की उर्वरा शक्ति कम होने के कारण रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। यूरिया और डीएपी की मात्रा में पहले से कई गुना वृद्धि हो गई है।

समर्थन मूल्य से जुड़े कुछ पहलू जो मीडिया के लिए महत्व के हो सकते हैं:–

मूल्य लागत की तुलना में कम है:–

हम जब कागज में समर्थन मूल्य के तय किए जाने की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो सम्भवतः वह आपको प्रभावित करे। समर्थन मूल्य की तय करने की प्रक्रिया बताती है कि यह अमूमन खेती से जुड़े तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर तय किया जाता है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तमाम तरह की विसंगतियां समर्थन मूल्य तय करने में हैं। एक प्रमुख बात तो रह है कि असल में समर्थन मूल्य किसान की उत्पादन की लागत से कम है। शायद यही कारण है कि खेती घाटे का सौदा होती है। खासकर लघु और सीमान्त किसानों के हिसाब से तो समर्थन मूल्य कम ही है।

होशंगाबाद जिले में कार्यरत एक स्वयंसेवी संस्था ग्राम सेवा समिति ने कुछ साल पहले किसान से आय व्यय पत्रक भरवाकर किसान को अपनी खेती की वास्तविक लागत निकालने का प्रशिक्षण देने की एक प्रकृिया चलाई थी। कुछ साल पहले जब गेहं का समर्थन मूल्य 650 रुपए था तब उन लोगों का आकलन था कि यह 1200 से 1500 होना चाहिए तब किसानों का कुछ न्यूनतम फायदा हो सकता है। सम्भवतः आज यह उससे कहीं अधिक है। हम चाहें तो इस बात का छोटा–मोटा अध्ययन करके लागत निकालकर देख सकते हैं।

> किसान अपनी वास्तविक लागत का आंकलन नहीं करता। उसके हिसाब से बाजार से खरीदकर जो इनपुट खेती में डाले जा रहे हैं वही लागत है किसान कभी भी उसके श्रम का मूल्य खेती में नहीं जोड़ता और न ही वह खेती के मूल्य को जोड़ता है। जबकि असल में देखा जाए तो किसान का पूरा परिवार ही खेती के काम से अनवरत जुड़ा होता है।

किसान कैसे अपनी लागत निकालते हैंः–

असल में किसान के लिए खेती जीवन से जुड़ा मसला है और खेती के साथ उसका जो रिश्ता है वह केवल काम का रिश्ता नहीं है बल्कि उसे वह कर्म की तरह से देखता है यही कारण है कि वह बहुत औपचारिक ढंग से अपने खेत का मूल्यांकन नहीं करता। मसलन, किसान अपनी वास्तविक लागत का आकलन नहीं करता। उसके हिसाब से बाजार से खरीदकर जो इनपुट खेती में डाले जा रहे हैं वही लागत है। किसान कभी भी उसके श्रम का मूल्य खेती में नहीं जोड़ता और न ही वह खेती के मूल्य को जोड़ता है। जबकि असल में देखा जाए तो किसान का पूरा परिवार ही खेती के काम से अनवरत जुड़ा होता है। और सरकार भी किसान के श्रम का मूल्यांकन नहीं करती।

किसानों को कोई इस तरह का प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता कि वह अपनी लागत में अपने श्रम के मूल्य को जोड़कर लागत निकाल सके। असल में खेती एक बहुत ही तकनीकी काम है। हल चलाना, पानी देना, कुलपा चलाना, नींदना, बोनी करना ये सारे ही तकनीकी काम हैं। और यदि आप इन कामों को नहीं जानते हैं तो इन्हें कर भी नहीं सकते। लेकिन हमारा तथाकथित सभ्य समाज खेती को बहुत ही हेय दृष्टि से देखता है। खेतीहर मजदूरी का आकलन अकुशल मजदूरी की भांति किया जाता है। खेती भलेही विज्ञान का विषय हो लेकिन सरकारें मानती हैं कि यह विज्ञान का काम करने वाला असल में एक अकुशल व्यक्ति है।

उपज की वास्तविक लागतः–

यदि हम वास्तव में खेती की लागत को समझना चाहते हैं तो उसे निकालने के लिए किसी किसान के साथ समय लगाकर बहुत सी जानकारियां साझा करना होगी। वैसे तो यह सब एग्रीकल्चर कॉलेजों में सिखाया जाता है लेकिन असल में किसान के साथ व्यवहारिक रूप से इस तरह का अभ्यास नहीं होता जिसकी महती जरूरत है।

सबसे पहले हम एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिसमें कि खेती में लगने वाली लागत का जिक्र हो मसलन, बीज, खाद, कीटनाशक, नींदानाशक, पेट्रोल, डीजल, बिजली जैसे प्रत्यक्ष खर्चे। जमीन की तैयारी में हुए खर्चे जैसे कि हल, बक्खर चलाना। बोनी के लिए हुए खर्च – पानी देना, बोनी करना, निदाई, गुड़ाई, खाद देना, दवा छिड़कना, भुसा उड़ाना, ढेर लगाना, थ्रेसर का खर्चा, कटाई का खर्चा, बोरे भरने में हुआ व्यय, जानवरों की देखभाल में लगा समय आदि।

असल में किसान का अपना श्रम कितना लगा है इस बात का व्यय भी लागत में जोड़ा जाना चाहिए। और खेती एक ऐसा काम है जिसमें केवल एक व्यक्ति नहीं लगता बल्कि एक परिवार काम करता है यानी कि कम से कम दो लोगों की पूरी मजदूरी को तो जोड़ा ही जाना चाहिए। हमने

एक किसान की एक केस स्टडी करके देखी। इसमें बहुत से खर्चों को नहीं जोड़ा गया है लेकिन इसके आधार पर भी समझ सकते हैं कि खेती किस तरह से घाटे का सौदा बनती जा रही है।

एक केस स्टडी

एक किसान जिसने चार एकड़ रकबे में वर्ष 2008–09 में गेहूं की खेती की उसकी लागत का विश्लेषण कुछ इस तरह थाः–

1. बीज 4 क्विंटल प्रति क्विंटल 1200 रुपए के हिसाब से कुल व्यय	4800 रुपए
2. डीएपी चार बोरी प्रति बोरी कीमत 490 रुपए कुल व्यय	1960 रुपए
3. यूरिया दस बोरी प्रति बोरी कीमत 256 रुपए कुल व्यय	2560 रुपए
4. पोटाश एक बोरी प्रति बोरी कीमत 275 रुपए कुल व्यय	275 रुपए
5. दवाई 24डी कचरानाशक प्रति बॉटल 200 रुपए कुल	200 रुपए
6. बोनी पर खर्च	
बखरनी ट्रेक्टर से 8 घण्टा प्रति घण्टा 300 रुपए	2400 रुपए
बोनी दो घण्टा ट्रेक्टर से प्रति घण्टा 300 रुपए	600 रुपए
7. पानी (तीन पानी और एक बार पलेवा कुल समय 8 दिन)	720 रुपए
8. पानी का चार्ज करीब	1000 रुपए
9. कटाई हार्वेस्टर से दो घण्टा	1600 रुपए
10. ढुलाई	500 रुपए
11. खेती की कीमत 5000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से (न्यूनतम)	20000 रुपए
12. यदि किसान के दो लोग गेहूं के एक सीजन में 100 दिन काम करते हैं तो किसान की मज़दूरी 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से	20000 रुपए
कुल व्यय, जो चार एकड़ में हुआ	56615 रुपए

इस किसान के खेत में गेहूं का उत्पादन 40 क्विंटल हुआ। गेहूं का समर्थन मूल्य 1100 रुपए था इस हिसाब से देखें तो किसान का उत्पादन 44000 रुपए का हुआ लेकिन उसकी लागत इसके लिए 56615 रुपए आई। यानी किसान को कुल मिलाकर 12615 रुपए का घाटा हुआ। प्रति क्विंटल गेहूं के उत्पादन में उसके 1415 रुपए खर्च हुए। 1100 रुपए समर्थन मूल्य पर उसे अब प्रति क्विंटल 315 रुपए का नुकसान उठाकर अपनी उपज को बेचना पड़ा।

उत्पादक मूल्य निर्धारक क्यों नहीं हैः–

यदि हम एक कारखाने के उदाहरण से इस बात को देखने की कोशिश करें तो कई तरह की रोचक चीज़ें सामने आती हैं। हम जानते हैं कि जब किसी भी कारखाने में कुछ भी उत्पादित होता है तो उसकी कीमत उसका मालिक या प्रबन्धन समूह तय करता है यानी जो व्यक्ति कारखाना

संचालित कर रहा है वह उसकी उत्पादन की लागत और लाभ दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पाद को बाजार में लाता है। लेकिन किसान के मसले पर यह उल्टा है यहां किसान को अपने दाम तय करने का अधिकार नहीं है बल्कि खरीददार कीमत तय करता है। चाहे वह सरकार के द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य हो या फिर व्यापारी द्वारा की गई खरीदी दोनों ही मसलों में यही हो रहा है।

> जब हर राज्य की फसल और उत्पादन लागत अलग हैं तो फिर केन्द्र के आधार पर समर्थन मूल्य तय किया जाना ठीक नहीं है राज्यों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने राज्यों की फसलों के लिए खुद मूल्य तय कर सकें।

समर्थन मूल्य को तय करने के तरीके में समस्या है:–

समर्थन मूल्य के तय करने को सैद्धांतिक रूप से यदि देखें तो शायद वह क्षणिक रूप से ठीक लगे लेकिन असल में व्यवहारिक रूप से वह ठीक नहीं है। यदि हम किसानों से समर्थन मूल्य तय होने की प्रक्रिया के बारे में पूछें तो शायद 95 बल्कि इससे भी ज्यादा फीसदी किसानों को यह जानकारी नहीं होगी कि वह कैसे तय होता है। क्योंकि असल में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की पहुंच किसानों तक उस स्तर तक है ही नहीं।

यदि खेती राज्य का विषय है तो फिर समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार क्यों तय करती है!

हर राज्य की फसलें और लागत अलग–अलग होती है। यदि हम गेहूं और धान की ही बात करें तो ये फसलें भारत के हर हिस्से में उत्पादित की जा रहीं हो ऐसा नहीं है लेकिन जब उनका समर्थन मूल्य तय किया जाता है तो उसे केन्द्र सरकार करती है। जब हर राज्य की फसल और उत्पादन लागत अलग तो फिर केन्द्र के आधार पर समर्थन मूल्य तय किया जाना कहां तक ठीक है। राज्यों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने राज्यों की फसलों के लिए खुद मूल्य तय कर सकें। वैसे भी संविधान के मुताबिक कृषि राज्य का विषय है। यह अलग बात है कि किसान आयोग ने उसे समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

राज्यों को यह छूट अवश्य होती है कि वह फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देकर अपने राज्य में अलग कीमतें कर सकें। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में जब बोनस की घोषणा की जानी होती है तो वह निहायत राजनैतिक तरीके से होता है।

क्या कहता है एक अध्ययन:

गोरखपुर स्थिति एक स्वयंसेवी संस्था गोरखपुर एनवारनमेंट ग्रुप ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के 31 गांवों में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में प्रमुख रूप से दो बातों का विश्लेषण किया गया। एक तो यह कि लघु एवं सीमान्त किसान समर्थन मूल्य से लाभान्वित क्यों नहीं हुए। वैसे तो समर्थन मूल्य सभी किसानों के लिए होता है लेकिन चूंकि वे

नगदी रकम की तुरन्त आवश्यकता छोटे किसानों को बाध्य करती है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर मध्यस्थों, गांव के बनिया या खुले बाजार में अपने अनाज को बेंचे।

मण्डी या अन्य शासकीय खरीदी केन्द्र तक अपनी उपज को बेचने नहीं जाते हैं वे स्थानीय साहूकारों को अपना अनाज कम दामों पर बेच देते हैं। इसमें दो चीजें प्रमुख रूप से काम करती हैं एक तो यह कि किसान अपना समय लगाकर कम अनाज को यदि बेचने जाता है तो उसे असल में बहुत फायदा नहीं हो पाता है। दूसरा उसने स्थानीय व्यापारियों से कर्जा लिया होता है जिसे चुकाने के लिए वह अपना अनाज जल्दी बेचना चाहता है।

अध्ययन कहता है कि अधिकांशतः लघु एवं सीमान्त किसान अपने उत्पाद को सरकारी खरीदी केन्द्र पर नहीं बेचते। इसके पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भुगतान में देरी है। इन केन्द्रों पर भुगतान चेक के द्वारा होता है मसलन, उस किसान को बैंक में खाता होना जरूरी है एक गरीब किसान के पास बैंक का खाता नहीं होता और न ही उसके पास बैंक में खाता खोजने के लिए नकदी होती है। इसके अलावा जिस बैंक का चेक दिया जाता है वे इतनी दूर स्थित होता है कि चेक द्वारा प्राप्त राशि का अधिकांश भाग आने जाने पर ही खर्च हो जाता है। बैंक भी किसानों को कई बार परेशान करते हैं। यही कारण है कि नकदी रकम की तुरन्त आवश्यकता छोटे किसानों को बाध्य करती है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर मध्यस्थों, गांव के बनिया या खुले बाजार में अपने अनाज को बेचें।

इसके अतिरिक्त भी तमाम कारण हैं जो किसानों को खरीदी केन्द्र पर जाने से हतोत्साहित करते हैं जैसेः–

- कभी कभी कर्ज की अदायगी के लिए गांव के बनिया या साहूकार को उत्पाद बेचना पड़ता है।
- छोटे किसानों द्वारा लाए गए उत्पाद को कम तोलना।
- लघु एवं सीमान्त किसानों के पास भूमि स्वामित्व से सम्बन्धित कागज पत्रों का अभाव होता है जबकि खरीदी केन्द्र उनको कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए बाध्य करता है। जैसे गत वर्ष खसरे और किश्त बन्दी की नकल के आधार पर मध्य प्रदेश में गेहूं व सोयाबीन की बिक्री सम्भव हो सकी।
- उत्पाद को खरीदी केन्द्रों तक ले जाने के भाड़े को छोटे किसान वहन नहीं कर पाते।
- खरीदी केन्द्रों पर छोटे किसानों की बजाय दलालों को प्राथमिकता दी जाती है।

एक तरफ जहां कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को न्यायोचित ठहराता है कि यह प्रोत्साहन कीमत है जो किसान को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती

है। खराब संग्रहण क्षमता, और उपरोक्त कारणों की वजह से यह नीति केवल बड़े किसानों के लिए ही सीमित होकर रह गयी है।

एक और अध्ययन

समर्थन मूल्य को लेकर कर्नाटक की एक स्वयं सेवी सेवी संस्था ने भी एक अध्ययन किया है इस अध्ययन के आधार पर निकले सुझावों के मुताबिक समर्थन मूल्य की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए जैसेः–

- न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए। इसमें किसानों के साथ काम कर रहे लोगों तथा अकादमिक लोगों की मदद ली जाए। और इस तरह की समीक्षा समय समय पर होते रहना चाहिए।
- जो डाटा कृषि लागत और मूल्य आयोग प्राप्त करता है वे असल में किसी बाहरी एजेंसी की मदद से प्राप्त किए जाने चाहिए। और ऐसा हर प्रदेश में किया जाए।
- यदि समर्थन मूल्य फसल की बोवनी के पहले घोषित किया जाए तो यह मूल्य नीति का एक प्रभावी अस्त्र हो सकता है।
- राज्यों के अपने स्वयं के लागत एवं मूल्य आयोगों का गठन करना चाहिए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य और उत्तरप्रदेश के गन्ना उत्पादकः

पिछले दो तीन माह से उत्तरप्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहां गन्ने का समर्थन मूल्य न केवल कम है बल्कि गन्ने की बिक्री में भी कई तरह की समस्याएं किसानों को आ रही हैं। वहां के किसान गन्ने का वाजिब दाम प्राप्त करने के लिए धरने आन्दोलन करके सरकार और चीनी मिलों पर दबाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्भवतः किसानों के इस दबाब का ही परिणाम है कि सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जो उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को लागू करने वाले अध्यादेश का स्थान लेगा। सरकार ने न्यूनतम सांविधिक मूल्य (एमएसपी) के स्थान पर अध्यादेश के जरिए एफआरपी की व्यवस्था लागू की है।

आवश्यक जिंस (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2009 के नाम से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अनुसार एफआरपी एसएमपी से ज्यादा होगा, क्योंकि यह गन्ना उत्पादक किसानों को जोखिम और मुनाफे की वजह से ज्यादा मार्जिन देना चाहता है।

आज की महंगाई और समर्थन मूल्य

महंगाई ने लोगों के क्या हाल कर दिए हैं इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं यानी उस पर ज्यादा चर्चा की शायद जरूरत नहीं हो लेकिन इस महंगाई के खेती के साथ रिश्ते को लेकर एक बातचीत की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि किसान भी बाजार पर निर्भर है। यानी उसे अपनी आवश्यकताओं की सारी वस्तुओं को बाजार से ही खरीदना पड़ता है तो उस पर बाजार की मार भारी हो रही है। दूसरा यह भी कि जिन वस्तुओं का वह उत्पादक है उसके बाजार में दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसे जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वह उस महंगाई से कहीं सरोकार रखने वाला नहीं है।

वर्ष 2008 और 2009 के दौरान महंगाई जिस गति से बढ़ी है उससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कुछ वस्तुओं के दामों ने तो लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है। तुअर की दाल की कीमत 36–37 रुपए किलो से 95 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। चीनी के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि इस बीच हुई है। 15–16 रुपए किलो बिकने वाली चीनी आज 38 रुपए किलो बिक रही है। बाकी वस्तुओं के दामों में भी इसी तरह की बढ़ोत्तरी हुई है। पर असल में दालों की कीमत बाजार में भलेही बढ़ गईं हो किसान को उसका दाम कम ही मिलता है। केवल अरहर की दाल की स्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं।

सामान्यतः भारत में अरहर की बुआई 35 लाख हेक्टेयर में होती है जिसमें कर्नाटक की हिस्सेदारी 5,55000 हेक्टेयर है। देश में 25 लाख टन अरहर का वार्षिक उत्पादन होता है। जिसमें से 3 लाख टन का उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। यानी कर्नाटक दाल उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र है। कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में खासकर अरहर की खेती होती है, जिसे भारत का दाल का कटोरा कहा जाता है। पिछले साल राज्य में दाल का उत्पादन गिरकर 2 लाख टन रह गया था और उम्मीद की जा रही है कि इस साल उत्पादन 1.5 लाख टन ही रह जाएगा।

जहां अरहर दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसकी बिक्री 95 रुपए किलो हो रही है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और कम उपज अहम भूमिका निभा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो इतना कम है कि किसानों की लागत भी उससे न निकल पाए। कर्नाटक प्रदेश रेड ग्रोवर्स एसोसिएशिन के राज्य प्रमुख बासवराज के मुताबिक किसान एक क्विंटल अरहर के उत्पादन पर 3600 रुपए खर्च करता है। जबकि कई सालों से 2007–08 तक अरहर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य करीब 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पिछले साल ही न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। उत्पादन लागत दिलाने और किसानों के मुनाफे के लिए जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूलय तत्काल बढ़ाकर 5000–6000 रुपए क्विंटल किया जाना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि अरहर का समर्थन मूल्य के हिसाब से दाम 20 रुपए किलो है और उसकी

दाल 95 रुपए प्रति किलो मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक आलू की कीमत भी एक साल पहले की तुलना में दोगुने से अधिक हो गई है जबकि प्याज 23 प्रतिशत महंगी है। अन्य आवश्यक वस्तुओं में चावल की कीमत 11.75 प्रतिशत बढ़ी है जबकि गेहूं 12.60 प्रतिशत और दालें 42 प्रतिशत महंगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में किसान के क्या हाल होंगे आप सोच सकते हैं। तो समर्थन मूल्य के बारे में इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सकता है।

और अन्त में

कुल मिलाकर समर्थन मूल्य एक बड़ा मुद्दा है जिस पर मीडिया को अपना ध्यान केन्द्रित करने की महती जरूरत है न केवल पक्षधरता के लिए बल्कि इसलिए भी कि यह एक ऐसा विषय है जिससे समाज का हर तबका प्रभावित होता है। यह केवल किसान का मसला ही नहीं है बल्कि यह हर उस व्यक्ति से सरोकार रखता है जिसे जिन्दा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। इसलिए हमारे मीडिया के साथी कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस विषय को अपने दायरे में ला सकते हैं:–

- कुछ किसानों की केस स्टडी के आधार पर देखना चाहिए कि असल में उनकी उत्पादन लागत और समर्थन मूल्य के मध्य क्या सम्बन्ध हैं।
- कुछ कृषि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से भी इस मुद्दे पर राय लेकर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए।
- कुछ स्वतंत्र अध्ययन करके भी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था का भी समीक्षात्मक अध्ययन हो सकता है यानी कि समर्थन मूल्य घोषित तो किया जा रहा है लेकिन उस पर असल में अमल कितना हो पा रहा है। कुछ अध्ययन कहते हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीदी भी एक बड़ा मसला है।
- मंडी और सरकारी खरीदी के अन्य ढांचों के अलावा निजी व्यवस्थाओं का भी समीक्षात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए।
- कुछ किसानों से बात करके इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिए कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कितना जानते हैं।
- यह व्यवस्था कितनी व्यवहारिक है इसे जांचने के लिए भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए।

परिशिष्ट

कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार घोषित कुछ वर्षो के समर्थन मूल्य

क्रमांक	जिंस	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**
	खरीफ	रुपए प्रति क्विंटल				
1	धान (सामान्य)	570	580	645	850	950
	धान (ग्रेड A)	600	610	675	880	980
2	ज्वार (हाईब्रिड)	525	540	600	840	840
	ज्वार (मालडांडी)		555	620	860	860
3	ज्वार (हाईब्रिड)	525	540	600	840	840
4	मक्का	540	540	620	840	840
5	रागी	525	540	600	915	915
6	अरहर	1400	1410	1550	2000	2300
7	मूंग	1520	1520	1700	2520	2760
8	उड़द	1520	1520	1700	2520	2520
9	कपास (F414/H777/J34)	1760	1770	1800	250	2500
	कपास (H4)	1980	1990	2030	3000	3000
10	मूंगफली छिलके सहित	1520	1520	1550	2100	2100
11	सूरजमुखी के बीज	1500	1500	1510	2215	2215
12	सोयाबीन (काला)	900	900	910		1350
	सोयाबीन (पीला)	1010	1020	1050	1390	1390
13	तिल	1550	1560	1580	2750	2850
14	रामतिल	1200	1220	1240	2405	2405
रबी सीजन						
15	गेहूं	650	750	1000	1080	1100
16	जौं	550	565	650	680	-
17	चना	1435	1445	1600	1730	-
18	मसूर (Lentil)	1535	1545	1700	1870	-
19	रेपसीड/सरसों	1715	1715	1800	1830	-
20	कुसुम्भ	1565	1565	1650	1650	-
21	तोरिया	1680	1680	1735	1735	-
अन्य फसलें						
22	खोपरा (मलिंग)	3570	3590	3620	3660	4450
	खोपरा (बाल)	3820	3840	3870	3910	4700
23	डी–हस्कड पंचाग वर्ष	-	-	-	988	1200
24	पटसन	910	1000	1055	1250	-
25	गन्ना	79.5	80.25	81	81	108
26	तम्बाखू (काली मिट्टी)	32	32	32	-	-
	तम्बाखू (हल्की मिट्टी)	34	34	34	-	-

वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य

क्रमांक जिंस	वैरायटी	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000**	**2000-2001**	**2001-2002**
1	2	9	10	12	13	14
1. धान	सामान्य	415	440	490	510	530
	ग्रेड ए	445#	470	520	540	560
2. (ज्वार, बाजरा, रागी)		360	390	415	445	485
3. मक्का		360	390	415	445	485
4. गेहूं		510 x	550	580	610	620
5. जौं		350	385	430	500	500
6. चना		815	895	1015	1100	1200
7. अरहर		900	960	1105	1200	1320
8. मूंग		900	960	1105	1200	1320
9. उड़द		900	960	1105	1200	1320
10. मसूर (lentil)		-	-	-	1200	1300
11. गन्ना @		48.45	52.70	56.10	59.50	62.05
12. कपास	F-414/H-777	1330	1440++	1575++	1625++	1675
	H-4	1530	1650	1775	1825	1875
13. मूंगफली छिलके सहित		980	1040	1155	1220	1340
14. पटसन		570	650	750	785	810
15. रेपसीड/सरसों		940	1000	1100	1200	1300
16. सूरजमुखी के बीज		1000	1060	1155	1170	1185
17. सोयाबीन	काला	670	705	755	775	795
	पीला	750	795	845	865	885
18. सूरजमुखी		910	990	1100	1200	1300
19. तारिया		905	965	1065	1165	1265
20. तम्बाखू (VFC)	काली मिट्टी (F2 Grade)	20.50	22.50	25.00	26.00	27.00
(Rs. per kg.)	हल्की मिट्टी (L2 Grade)	23.50	25.50	27.00	28.00	29.00
21. खोपरा	Milling	2700	2900	3100	3250	3300
(Calender Year)	ball	2925	3125	3325	3500	3550
22. तिल		950	1060	1205	1300	1400
23. रामतिल		800	850	915	1025	1100

वर्ष 1992—93 से 1996—97 तक विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य

क्रं. जिंस	वैरायटी	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	4	5	6	7	8
1. धान	सामान्य	270	310	340	360	380
	फाइन	280	330	360	375	395
	सुपर फाइन	290	350	380	395	415
	ग्रेड ए	-	-	-	-	-
2. (ज्वार, बाजरा, रागी)		240	260	280	300	310
3. मक्का		245	265	290	310	320
4. गेहूं		$ 330	$ 350	360	380	475 *
5. जौं		260	275	285	295	305
6.चना		600	640	670	700	740
7. अरहर		640	700	760	800	840
8. मूंग		640	700	760	800	840
9. उड़द		640	700	760	800	840
10. मसूर (lentil)		-	-	-	-	-
11. गन्ना @		31.00	34.50	39.10	42.50	45.90
12. कपास	F-414/H-777	800	900	1000	1150	1180
	H-4	950	1050	1200	1350	1380
13. मूंगफली छिलके सहित		750	800	860	900	920
14. पटसन		400	450	470	490	510
15. रेपसीड /सरसों		760	810	830	860	890
16. सूरजमुखी के बीज		800	850	900	950	960
17. सोयाबीन	काला	475	525	570	600	620
	`पीला	525	580	650	680	700
18. सूरजमुखी		720	760	780	800	830
19. तारिया		725	780	800	825	855
20. तम्बाखू (VFC)	Black Soil (F2 Grade)	16.00	18.00	18.50	19.00	19.00
(Rs. per kg.)	Light Soil (L2 Grade)	17.50	20.00	21.00	21.50	22.00
21. खोपरा	Milling	N.A.	2150	2350	2500	2500
(Calender Year)	ball	N.A.	2350	2575	2725	2725
22. तिल		-	-	-	850	870
23. रामतिल		-	-	-	700	720

@ - Statutory Minimum Price linked to a basic recovery of 8.5% of sugar with proportionate

गेहूँ का समर्थन मूल्यः रुपए प्रति क्विंटल

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य	पिछले वर्ष की तुलना में : वृध्दि
2000	580	5.5
2001	610	5.2
2002	620	1.6
2003	630	1.6
2004	630	0.0
2005	640	1.6
2006	650 (+50)	1.6 (9.4)
2007	750 (+100)	15.4 (21.4)
2008	1080 (+50)	
2009	1100+ (राज्य सरकार का बोनस)	

नोट : कोष्ठक में दशाई गई राशि सरकार द्वारा घोषित बोनस है।

सम्पूर्ण भारत की तुलना में म.प्र. की स्थिति

राज्य की स्थिति 2004–05				
क्रमांक	विवरण	सम्पूर्ण भारत	म.प्र.	स्थिति
1.	सिंचाई प्रतिशत	41	28	
2.	फसलीय तीव्रता प्रतिशत	135	135	
3.	उर्वरक (किग्रा/हेक्टेयर)	104 किग्रा	54 किग्रा	
4.	फसल उत्पादकता (किग्रा/हेक्टे.)			
अ.	धान	2051	1058	
ब.	ज्वार	772	1342	
स.	बाजरा	1134	1397	
द.	मक्का	1983	2072	पहला क्रम (उत्पादन में 12.6 प्रतिशत भागीदारी)
इ.	गेहूँ	2707	1867	
फ.	चना	792	931	पहला क्रम (उत्पादन में 46.2 प्रतिशत भागीदारी)
ग.	सोयाबीन	1208	1130	पहला क्रम (उत्पादन में 60 प्रतिशत भागीदारी)
	कुल दलहन	623	775	पहला क्रम (उत्पादन में 23.5 प्रतिशत भागीदारी)
	कुल तिलहन	1072	1060	पहला क्रम (उत्पादन में 22.2 प्रतिशत भागीदारी)

स्त्रोतः agricoop.nic.in/rabicampaign05_06/rabicamp05_06/mp.ppt

मध्य प्रदेश के खेती से संबंधित विभिन्न आंकड़े

फसल समूहवार उत्पादन मूल्य (लाख रुपए)

फसलें	2006–2007	2007–2008	प्रतिशत वृद्धि (2007–2008 में 2005–2006से)
खाद्यान्न	964719	961204	(–) 0.36
दलहन	655913	570701	(–) 12.99
तिलहन	889291	987230	(+) 11.01

खरीफ फसलों का उत्पादन एवं मूल्य

फसल	2006–07 उत्पादन मैट्रिक टन	2007–08 उत्पादन मैट्रिक टन	प्रतिशत वृद्धि	2006–07 मूल्य (लाख में)	2007–08 मूल्य (लाख में)
1	2	3	4	5	6
धान	2094200	1739250	16.95	136050	115281
ज्वार	564781	588693	4.23	41581	43341
मक्का	853821	111216	30.15	55106	78795
अरहर	213499	267753	25.41	37143	46581
उड़द	163008	163500	0.30	44237	44371
मूंगमोठ	25496	24300	4.69	5524	5265
तिल	88184	51718	41.35	23847	13986
मूंगफली	1919909	146226	23.80	32634	24866
सायोबीन	4789223	5471600	14.25	680396	777340
सन	1623	1561	3.82	255	245
योग	8944144	9565817	6.95	1056773	1150071

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन (हजार हेक्टेयर में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
धान	1718.79	1685.72	1710.65	1684.22	1645.12	(–) 2.32	(–) 0.88
मक्का	909.53	884.45	863.50	890.33	852.74	(–) 4.22	(–) 1.22
गेहूं	4091.06	4200.33	3784.70	4274.17	4101.43	(–) 4.05	(+) 0.23
कुल खाद्यान्न	12795.67	12550.99	11886.91	15140.03	13703.86	(–) 0.92	(–)1.29

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन (हजार मीटरिक टन में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
धान	2625.40	1964.20	2541.50	1685.72	2094.00	(+) 4.72	(–) 2.92
मक्का	1866.16	1230.78	1248.34	853.82	1111.22	(+) 30.15	(–)13.09
गेहूं	7364.63	7327.41	6199.74	7847.82	6729.36	(–) 14.25	(–) 1.11
कुल खाद्यान्न	16833.56	14741.26	14334.20	12550.99	11886.91	(–) 9.49	(–) 3.77

दलहन फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
अरहर	315.14	318.37	323.42	308.96	304.41	(–) 14.73	(–) 0.99
चना	2791.34	2692.59	2540.71	2590.77	2661.82	(+) 2.74	(–) 1.33
कुल दलहन	4592.67	4483.92	4331.64	4267.04	4404.86	(+) 3.23	(–) 1.32

दलहन फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
अरहर	255.71	247.63	241.65	213.50	193.20	(–) 9.51	(–) 6.84
चना	2584.94	2474.59	2377.94	2556.67	1922.72	(–) 24.80	(–) 5.44
कुल दलहन	3489.50	3353.27	3260.63	3351.82	2665.19	(–) 20.49	(–) 5.25

प्रमुख तिलहन फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2005–06	2006–07	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
राई सरसों	536.68	761.50	830.69	751.84	636.32	(–) 15.36	(+)3.33
सोयाबीन	4212.43	4594.27	4590.03	4691.20	5201.74	(+) 10.88	(+) 4.53
कुल तिलहन	5375.62	5982.93	6067.89	6138.29	6578.42	(+) 7.17	(+) 4.39

प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन (हजार मीटरिक टन में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	* वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
राई सरसों	580.38	756.20	856.49	706.37	593.89	(–) 15.92	(+)0.22
सोयाबीन	4652.57	3760.29	4813.92	4789.22	5480.50	(+) 14.43	(+) 5.86
कुल तिलहन	5623.59	4908.33	6052.44	5851.05	6438.97	(+) 10.05	(+) 4.57

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन (हजार हेक्टर में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
गन्ना	69.52	73.61	87.17	107.35	103.89	(–) 3.22	(+) 12.53
कपास	564.10	591.28	603.32	636.67	624.87	(–) 1.85	(+) 2.83

* वर्ष 2003–04 से वर्ष 2007–08 की अविधि की वृद्धि दर।

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन
(हजार मीटरिक टन में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	* वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
गन्ना	1873.68	1797.95	2240.93	2695.82	3276.72	(+) 21.55	(+)16.45
कपास	325.89	327.51	359.95	425.80	447.57	(+) 5.11	9.38

* वर्ष 2003–04 से वर्ष 2007–08 की अविधि की वृद्धि दर।

बी. टी. काटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्राच्छादन (हेक्टर में)	उत्पादन हजार (गांठो में)
1	2	3
2004–2005	85740	181903
2005–2006	126714	236036
2006–2007	343668	735180
2007–2008	126713	1199449
2008–2009 (अनुमानित)	592643	1559404

प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	* वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
मिर्च	49062	47091	46658	47091	46218	(–) 2.97	(–) 1.07
अदरक	5084	5233	5757	6022	5381	(–) 10.64	(+) 2.57
लहसून	33196	42292	33717	41735	53691	(+) 28.65	(+)0.42
धनिया	125110	136388	101352	116607	138149	(+) 18.47	(+) 0.42
कुल मसाले	239867	265811	207563	246082	282253	(+) 14.70	(+) 2.51

* वर्ष 2003–04 से वर्ष 2007–08 की अविधि की वृद्धि दर।

प्रमुख मसालों का उत्पादन

(मीटरिक टन में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
मिर्च	38429	42922	42479	40812	49046	(+) 20.18	(+)4.47
अदरक	6296	5930	7273	7413	7530	(+) 1.58	(+) 5.98
लहसून	137888	178518	125221	182504	225852	(+) 23.75	(+)10.62
धनिया	46979	52576	38130	49890	44656	(–) 10.49	(–)1.53
कुल मसाले	230276	280581	213675	280581	327629	(+) 16.51	(+)7.33

* वर्ष 2003–04 से वर्ष 2007–08 की अविधि की वृद्धि दर।

प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

फसलें	2003–04	2004–05	2005–05	2005–06	2007–08	गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि / कमी	* वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6	7	8
आलू	46578	47602	45999	48572	56695	(+) 1.72	(+) 4.22
शकरकन्द	3841	4192	4191	4090	3772	(–) 7.78	(–) 0.61
प्याज	31001	35704	37699	37868	41419	(+) 9.38	(+) 6.59
मटर	4280	17278	18084	20869	19038	(–) 8.77	(+)37.35
टमाटर	18740	18254	22388	22039	21036	(–) 4.55	(+) 4.29
फूल गोभी	7347	7665	9716	10465	7603	(–) 27.35	(+)3.87
कुल सब्जी	163474	184950	195977	201422	204287	(+) 1.42	(+) 5.45

* वर्ष 2003–04 से वर्ष 2007–08 की अविधि की वृद्धि दर।

उक्त आंकड़ों का स्रोतः– मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2008–09

1950 से अब तक खेती में हुए कुछ बड़े बदलाव

1950	भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सिंचाई योजनाओं के लिए विकास के लिए सार्वजनिक निवेश की प्रक्रिया
1965	कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना
1966–1970	हरित क्रांति की शुरुआत
1972	भूमि हदबन्दी तथा अतिरिक्त भूमि का वितरण
1976	ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम
1982	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना
1991	आर्थिक सुधार
1995	विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को अमली जामा पहनाने की प्रकि्या शुरू।
1997	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लक्ष्य तय
2005	छोटी सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार